INDIA NON JUDICIAL

IN-UP85734166899438W

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

DEEPAK KUMAR VERMA
ACC No. : UP14136904
Meerut, Mob. : 9897013568

161

₹500

Certificate No.	:	IN-UP85734166899438W
Certificate Issued Date	:	17-Sep-2024 11:28 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14136904/ MEERUT/ UP-MRT
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14136904681125427434 87W
Purchased by	:	SHANTI NIKETAN TRUST
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SHANTI NIKETAN TRUST
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	SHANTI NIKETAN TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	500 (Five Hundred only)

सत्यमेव जयते

Locked By 28-10-2024
Date.......
Sign.......

IN-UP85734166899438W

Please write or type below this line

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

ॐ
(2)

अंकन 500/-रूपये का ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र संख्या IN-UP85734166899438W संलग्न हैं।

ट्रस्ट डीड।

हमकि श्री डॉ0 सोमेन्द्र तोमर पुत्र श्री महेन्द्र सिंह निवासी मकान नं0 ए-23, शास्त्री नगर, शहर मेरठ **(Aadhaar No.-3631 2788 4391 & Mob. No.-9897100201)**..प्रथम पक्ष।

व श्री धीर सिंह पुत्र श्री शिव नारायण निवासी पाली, फरीदाबाद (हरियाणा) **(Aadhaar No.-2911 3388 1744 & Mob. No.-971196969696)**...........द्वितीय पक्ष।

व श्री अभिषेक भड़ाना पुत्र श्री गुरदीप भड़ाना निवासी मियाँ मौहल्ला, ग्राम पाली-13, फरीदाबाद (हरियाणा) **(Aadhaar No.-8065 4948 6682 & Mob. No.-9711969696)**..तृतीय पक्ष।

व श्री धर्मेश तिवारी पुत्र श्री संतलाल शर्मा निवासी बी-6, द्वितीय तल, गगन एनक्लेव, गाजियाबाद **(Aadhaar No.-5709 7411 9854 & Mob. No.-8800728888)**..चतुर्थ पक्ष।

व श्री चांनन लाल ढिंगरा पुत्र श्री चुन्नी लाल ढिंगरा निवासी 02, सोना एन्कलेव एक्सटेंशन, मोदीनगर, गाजियाबाद **(Aadhaar No.-5264 9588 1558 & Mob. No.-9837072803)**...पंचम् पक्ष।

व श्री संजय ढिंगरा पुत्र श्री चांनन लाल ढिंगरा निवासी 02, सोना एन्कलेव एक्सटेंशन, मोदीनगर, गाजियाबाद **(Aadhaar No.-4562 7636 3139 & Mob. No.-9760161111)**..षष्टम् पक्ष।

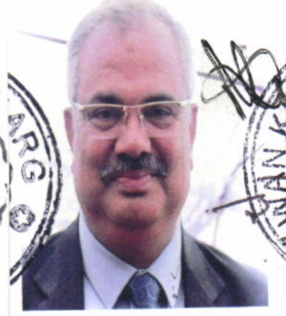

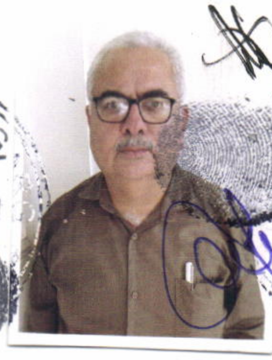

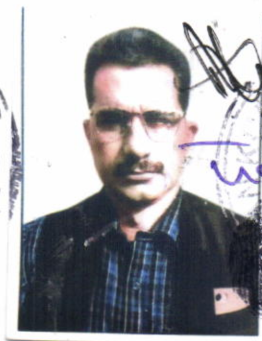

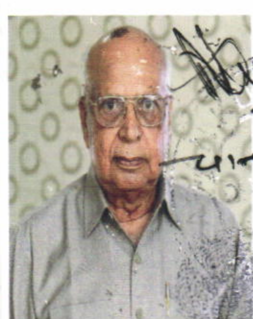

PAWAN KUMAR GARG
DOCUMENT WRITER
MEERUT

व श्री अरूण सचदेवा पुत्र श्री तखत शाह सचदेवा निवासी छोटी मार्किट, गोविन्दपुरी, मोदीनगर, गाजियाबाद (Aadhaar No.-2669 9216 6309 & Mob. No.-9837072803)..सप्तम् पक्ष।

व श्री पवन कुमार पुत्र श्री धर्मपाल सिंह निवासी ग्राम अबुपुर,मोदीनगर,गाजियाबाद (Aadhaar No.-4624 0375 1588 & Mob. No.-9837072803)...............अष्टम् पक्ष।

व श्रीमति अंजली तोमर पुत्री स्वर्गीय श्री शिव नारायण सिंह निवासी भवन संख्या ए-23, शास्त्री नगर, शहर मेरठ (Aadhaar No.-5971 6026 7730 Mob. No.-7078675380)..नवम् पक्ष।

जिन्हें आगे **व्यवस्थापक** कहा गया है व्यवस्थापकों की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की है।

जोकि व्यवस्थापकों ने श्री चानन लाल ढ़ीगरा के साथ मिलकर एक ट्रस्ट **"शान्ति निकेतन ट्रस्ट,** के नाम से अंकन 5000/-रूपये की धनराशि से स्थापित किया। जिसका न्यास पत्र दिनांक 01-05-2008ई0 जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 4 पर विलेख क्रमांक 66 पर दफ्तर सब रजिस्ट्रार मोदीनगर, जिला गाजियाबाद हुई। जिसका प्रथम संशोधन पत्र दिनांक 10-10-2008ई0 को निष्पादित हुआ जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 4 पर विलेख क्रमांक 166 पर दफ्तर सब रजिस्ट्रार मोदीनगर, जिला गाजियाबाद हुई, तदोपरान्त द्वितीय संशोधन पत्र दिनांक 28-11-2011ई0 को निष्पादित हुआ जिसकी

आवेदन सं०: 202400738028539

न्यास पत्र

बही स०: 4	**रजिस्ट्रेशन स०: 161**	**वर्ष: 2024**

प्रतिफल- 5000 स्टाम्प शुल्क- 500 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 180

श्री डॉ० सोमेन्द्र तोमर ,
पुत्र श्री महेन्द्र सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी: ए-23, शास्त्री नगर, शहर मेरठ।

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 28/10/2024 एवं 12:15:27 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

भरत कुमार जुमनानी
उप निबंधक :मोदीनगर
गाजियाबाद
28/10/2024

निखिल कुमार ..
निबंधक लिपिक
28/10/2024

प्रिंट करें

अंकन 500/-रूपये का ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र संख्या IN-UP85734166899438W संलग्न हैं।

रजिस्ट्री बही नं0 4 जिल्द सं0 111 के पृष्ठ सं0 309 से 322 पर क्रमांक 11 पर दफ्तर सब रजिस्ट्रार मोदीनगर, जिला गाजियाबाद हुई, तदोपरांत श्री चाननलाल ढींगरा ने विवादित कूट रचित ट्रस्टडीड की जो ट्रस्ट के विरूद्ध थी जिनको दिनांक 10-04-2018ई0 की सभा में सर्वसम्मति से अस्वीकार किया गया, तदोपरांत एक सभा दिनांक 20-04-2018ई0 को हुई, तदोपरांत एक सभा दिनांक 11-06-2018ई0 को हुई जिसमें ट्रस्टीगण श्री चांनन लाल ढींगरा व श्री संजय ढींगरा की गतिविधियों से संतुष्ट नहीं है और ट्रस्ट विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हे निष्कासित करना चाहते है मीटिंग द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर श्री चानन लाल ढीगंरा व श्री संजय ढींगरा को भी निष्कासित किया गया। इस प्रकार पंचम् पक्ष व षष्टम् पक्ष द्वारा नियुक्त सप्तम् पक्ष व अष्टम् पक्ष भी वैधानिक ट्रस्टी नहीं हैं। उपरोक्त सभाओं में लिये गये निर्णय व संशोधनो को वैधानिक रूप देने के उद्देश्य से एक अन्य संशोधन पत्र दिनांक 14-06-2018ई0 को निष्पादित हुआ जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 4 पर विलेख क्रमांक 125 पर दिनांक 14-06-2018ई0 पर दफ्तर सब रजिस्ट्रार मोदीनगर, जिला गाजियाबाद हुई, तदोपरान्त एक सभा दिनांक 15-07-2018 को हुई जिसका संशोधन पत्र दिनांक 15-07-2018ई0 को निष्पादित हुआ जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 4 पर विलेख क्रमांक 158 पर दिनांक 21-07-2018ई0 पर दफ्तर सब रजिस्ट्रार मोदीनगर, जिला गाजियाबाद हुई, तथा ट्रस्ट की सभाओं में लिये

आवेदन सं०: 202400738028539

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 161 वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री डॉ० सोमेन्द्र तोमर, पुत्र श्री महेन्द्र सिंह

निवासी: ए-23, शास्त्री नगर, शहर मेरठ।

व्यवसाय: अन्य

न्यासी: 2

श्री धीर सिंह, पुत्र श्री शिव नारायण

निवासी: पाली, फरीदाबाद, हरियाणा।

व्यवसाय: अन्य

न्यासी: 3

श्री अभिषेक भड़ाना, पुत्र श्री गुरदीप भड़ाना

निवासी: मियाँ मौहल्ला, ग्राम पाली-13, फरीदाबाद, हरियाणा।

व्यवसाय: अन्य

न्यासी: 4

श्री धर्मेश तिवारी, पुत्र श्री संतलाल शर्मा

निवासी: बी-6, सैकिण्ड फ्लोर, गगन एन्क्लेव, गाजियाबाद।

व्यवसाय: अन्य

न्यासी: 5

श्री चांनन लाल ढिंगरा, पुत्र श्री चुन्नी लाल ढिंगरा

निवासी: 02, सोना एन्क्लेव एक्सटेंशन, मोदीनगर, गाजियाबाद।

व्यवसाय: अन्य

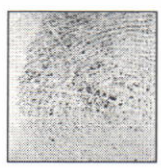

न्यासी: 6

श्री संजय ढिंगरा, पुत्र श्री चांनन लाल ढिंगरा

निवासी: 02, सोना एन्क्लेव एक्सटेंशन, मोदीनगर, गाजियाबाद।

व्यवसाय: अन्य

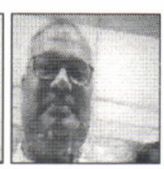

न्यासी: 7

श्री अरूण सचदेवा, पुत्र श्री तखत शाह सचदेवा

निवासी: छोटी मार्किट, गोविन्दपुरी, मोदीनगर, गाजियाबाद।

व्यवसाय: अन्य

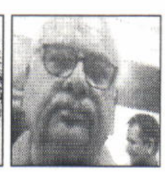

न्यासी: 8

गये निर्णय के अनुसार न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), फास्ट ट्रेक कोर्ट, गाजियाबाद वाद सं0 444 सन्-2018 शान्ति निकेतन ट्रस्ट बनाम चानन लाल ढींगरा न्यायालय में वाद योजित किया जो विचाराधीन है, न्यायालय ने दिनांक 29-11-2018ई0 को अन्तरिम आदेश पारित करते हुऐ प्रतिवादीगण श्री चानन लाल ढींगरा व श्री संजय ढींगरा व श्री अरूण सचदेवा व श्री पवन कुमार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुऐ निर्देशित किया कि प्रतिवादीगण व उनके प्रतिनिधि ट्रस्ट की पूरक ट्रस्ट डीड निष्पादित करने पंजीकृत कराने अथवा वादी ट्रस्ट के कार्य में किसी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न करने से सदा बाज रहें तथा उनके द्वारा निष्पादित व निबन्धित बीच का संशोधन पत्र अस्वीकार किया। जिसका संशोधन पत्र दिनांक 11-12-2018ई0 को निष्पादित हुआ जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 4 पर विलेख क्रमांक 257 पर दफ्तर सब रजिस्ट्रार मोदीनगर, जिला गाजियाबाद हुई। तदोपरान्त दिनांक 19-03-2019ई0 को ट्रस्ट की आम सभा में ट्रस्ट के सुचारू संचालन एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रस्ताव पारित किये गये जिसमें ट्रस्ट के सुचारू संचालन हेतु ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय 7/45, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद के स्थान पर ई-18, शास्त्री नगर, शहर मेरठ पर स्थान्तरित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। अब ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय ई-18, शास्त्री नगर, शहर मेरठ है, तथा सभी पत्र व्यवहार एवं ट्रस्ट का संचालन इसी कार्यालय से हो रहा है। अब ट्रस्ट के वर्तमान

श्री पवन कुमार, पुत्र श्री धर्मपाल सिंह

निवासी: ग्राम अबुपुर, मोदीनगर, गाजियाबाद।

व्यवसाय: अन्य पवन कुमार

न्यासी: 9

श्रीमती अंजली तोमर, पुत्री श्री स्वर्गीय शिव नारायण सिंह

निवासी: ए-23, शास्त्री नगर, शहर मेरठ।

व्यवसाय: अन्य Anjali

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान
पहचानकर्ता : 1

श्री पुनीत कुमार जैन, पुत्र श्री मनोहर लाल जैन

निवासी: एसबी-95, शास्त्री नगर, गाजियाबाद।

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री जाने आलम, पुत्र श्री ताहिर अली

निवासी: 397/4, बी-17, जाकिर कॉलोनी, हापुड रोड, पुराने के पास मोहसिना पब्लिक स्कूल, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250002

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

भरत कुमार जुमनानी
उप निबंधक : मोदीनगर
गाजियाबाद
28/10/2024

निखिल कुमार ..
निबंधक लिपिक गाजियाबाद
28/10/2024

प्रिंट करें

में वैधानिक व कार्यरत ट्रस्टियों में से श्री धीर सिंह द्वितीय व श्री अभिषेक भड़ाना तृतीय पक्ष व श्री धर्मेश तिवारी चतुर्थ पक्ष ने ट्रस्टी व ट्रस्ट में अपने पद व दायित्वों से त्याग पत्र देकर ट्रस्ट के ट्रस्टी व पद से विमुक्त होने का अनुरोध किया जिसे ट्रस्ट की सभा दिनांक 07-09-2024ई0 को स्वीकृत किया गया, तथा श्री धर्मेश तिवारी व श्री धीर सिंह व श्री अभिषेक भड़ाना को ट्रस्ट में ट्रस्टी व सभी पदों व दायित्वों से विमुक्त किया गया, तथा नवम् पक्ष श्रीमती अंजली तोमर को नया ट्रस्टी नियुक्त किया गया एवं उन्हें सचिव व कोषाध्यक्ष का पदभार दिया गया, तथा अब ट्रस्ट के विरूद्ध कार्य कर रहे अवैधानिक ट्रस्टीगण व वर्तमान में कार्यरत वैधानिक ट्रस्टीयों प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष व तृतीय पक्ष के मध्य बैठकर आपसी समझौता हो गया है, और सभी मतभेद तथा आशंकायें व शंकाये तथा वाद-विवाद आदि आपसी बातचीत से निबटा दिये गये है, तथा पंचम् पक्ष ता अष्टम् पक्ष ने वर्तमान में कार्यरत ट्रस्ट एवं उसके ट्रस्टी व पदाधिकारी प्रथम पक्ष ता तृतीय पक्ष को वैधानिक ट्रस्टी स्वीकार किया, तथा ट्रस्ट द्वारा दिनांक 28-11-2011ई0 में पंजीकृत संशोधन पत्र व उसके बाद की प्रतिपादित व निष्पादित व उक्त प्रथम पक्ष ता तृतीय पक्ष के वैधानिक ट्रस्टी होने तक की समस्त प्रक्रिया व सभाओं की कार्यवाही व इस दौरान निष्पादित होकर निबन्धित हुए संशोधन पत्र आदि को पंचम् पक्ष ता अष्टम् पक्ष ने स्वीकार किया, तथा पंचम् पक्ष ता अष्टम् पक्ष इस

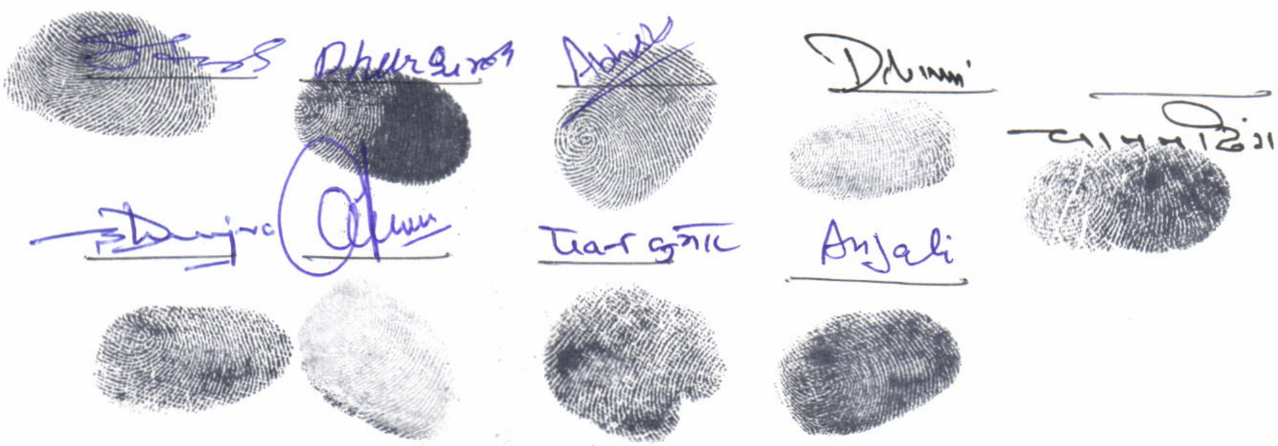

अंकन 500/-रूपये का ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र संख्या IN-UP85734166899438W संलग्न हैं।

आशय की घोषणा करते है कि वर्तमान में कार्यरत शान्ति निकेतन ट्रस्ट जिसके अध्यक्ष डॉ0 सोमेन्द्र तोमर प्रथम पक्ष है व द्वितीय पक्ष व तृतीय पक्ष उनके साथ ट्रस्टी/पदाधिकारी कार्यरत है, पूर्णतः वैधानिक है, जो पंचम् पक्ष ता अष्टम् पक्ष को पूर्णतः स्वीकार है व उनका कोई हस्तक्षेप उक्त संचालित ट्रस्ट में ना है, और ना भविष्य में होगा, तथा सभी पक्षों के मध्य आपसी सहमति से निम्नलिखित सहमति हुई जिसका संशोधन पत्र निबन्धित होना आवश्यक है। जिसके नियम व शर्ते निम्न प्रकार हैः-

1. यहकि ट्रस्ट में वर्तमान में निम्नलिखित ट्रस्टी व पदाधिकारी निम्न प्रकार हैः-

1. अध्यक्ष/चेयरमेन- डॉ0 सोमेन्द्र तोमर।

2. सचिव व कोषाध्यक्ष- श्रीमती अंजली तोमर।

2. यहकि अब इस संशोधन के उपरान्त उक्त पदाधिकारी व ट्रस्टी, प्रथम पक्ष व नवम् पक्ष कुल दो ही ट्रस्ट के एक मात्र वैधानिक ट्रस्टी व पदाधिकारी है व ट्रस्ट का संचालन करेंगे, तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति एवं सफल संचालन हेतु सभी प्रकार के निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र एवं अधिकृत है, तथा प्रथम पक्ष व नवम् पक्ष के अतिरिक्त अन्य कोई पक्ष का कोई सम्बन्ध ट्रस्ट की सदस्यता या किसी सम्पत्ति से किसी भी रूप में शेष नहीं है न ही कोई लेन-देन किसी प्रकार का शेष नहीं है न भविष्य में होगा। वर्तमान में केवल डॉ0 सोमेन्द्र तोमर व श्रीमती अंजली तोमर ही ट्रस्टी है।

3. यहकि न्यायालय में विचाराधीन वाद की पैरवी ट्रस्ट के हित में करके पंचम् पक्ष ता अष्टम् पक्ष के साथ समझौते के आधार पर उन्हें निस्तारित करा लेंगे।

4. यहकि ट्रस्ट के हित में उसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतू समस्त कानूनी कार्यवाही

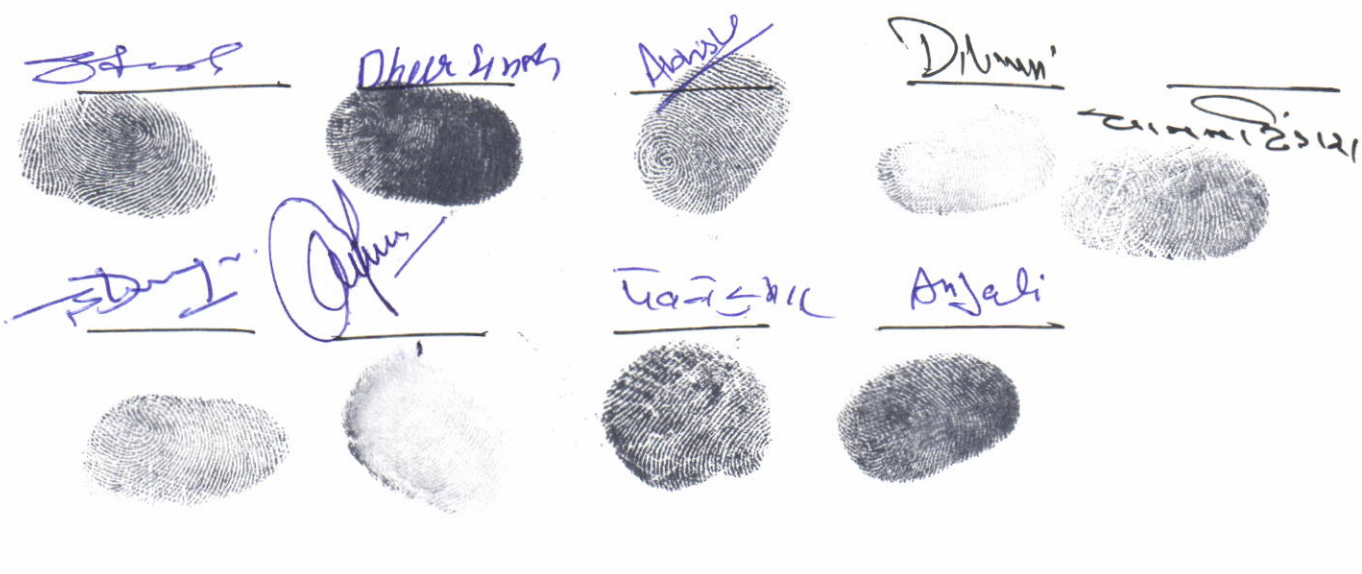

(आपराधिक व सिविल) करने हेतू ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ0 सोमेन्द्र तोमर को अधिकृत किया गया। जिसकी पुष्टि व स्वीकृति दिनांक 07-09-2024ई0 की सभा में सम्पन्न हुई ट्रस्टियों की आम सभा में की गई तथा सभा में ट्रस्ट से अलग होने वाले ट्रस्टीयों व पदाधिकारियों द्वितीय पक्ष ता अष्टम् पक्ष का त्याग पत्र/निष्कासन स्वीकार करके उन्हें ट्रस्ट से तथा ट्रस्टी एवं पद से अवमुक्त किया गया तथा ट्रस्ट के समस्त दायित्वों व अधिकारों से भी अवमुक्त किया गया यानि अब उनका ट्रस्ट व उसकी सम्पत्तियों आदि से व लेन देन से कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं रह गया है नाही भविष्य में होगा तथा ट्रस्ट के समस्त दायित्वों व अधिकारों से भी कोई सम्बन्ध किसी किस्म का ना होगा। जिससे द्वितीय पक्ष ता अष्टम् पक्ष सहमत है, तथा कोई आपत्ति नहीं है।

5. यह कि ट्रस्ट भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत पंजीकृत है, तथा इस अधिनियम एवं संशोधन के सभी प्रावधान एवं नियम इस प्रकार लागू रहेंगे जिसका अनुपालन ट्रस्ट सुनिश्चित करेंगा।

6. यह कि ट्रस्टियों के पास ट्रस्ट के उद्देश्यों में उपयोग की जाने वाली किसी भी क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसी सार्वजनिक बैंक या अन्य किसी भी वित्तीय संस्था के साथ ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्तियाँ आईंदा धारित होंगी, को गिरवी/बन्धक/आढ रखने की शक्तियाँ होगी।

अंकन 500/-रूपये का ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र संख्या IN-UP85734166899438W संलग्न हैं।

7. यह कि ट्रस्ट के तहत जो भी संचालित संस्थान होंगे उन संस्थानों को ट्रस्टिगण ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुरूप जब भी उचित समझे समय-समय पर किसी भी संस्थान या पाठ्यक्रम को खोल या बन्द कर सकते है।

8. यहकि ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति एवं सुचारू संचालन के लिये संशोधित ट्रस्ट डीड होना अति आवश्यक है इसलिये उक्त न्यास पत्र दिनांक 01-05-2008ई0 जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 4 पर विलेखक क्रमांक 66 पर दफ्तर सब रजिस्ट्रार मोदीनगर, जिला गाजियाबाद हुई। जिसका प्रथम संशोधन पत्र दिनांक 10-10-2008ई0 को निष्पादित हुआ जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 4 पर विलेख क्रमांक 166 पर दफ्तर सब रजिस्ट्रार मोदीनगर, जिला गाजियाबाद हुई, तदोपरान्त द्वितीय संशोधन पत्र दिनांक 28-11-2011ई0 को निष्पादित हुआ जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 4 पर विलेख क्रमांक 11 पर दफ्तर सब रजिस्ट्रार मोदीनगर, जिला गाजियाबाद हुई, तदोपरान्त पक्षकारों ने एक अन्य संशोधन पत्र दिनांक 14-06-2018ई0 को निष्पादित हुआ जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 4 पर विलेख क्रमांक 125 पर दिनांक 14-06-2018ई0 पर दफ्तर सब रजिस्ट्रार मोदीनगर, जिला गाजियाबाद हुई, तदोपरान्त एक अन्य संशोधन पत्र दिनांक 15-07-2018ई0 को निष्पादित हुआ जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 4 पर विलेख क्रमांक 158 पर दिनांक 21-07-2018ई0 पर दफ्तर सब रजिस्ट्रार मोदीनगर, जिला गाजियाबाद हुई, तदोपरान्त एक संशोधन पत्र दिनांक 11-12-2018ई0 को निष्पादित हुआ जिसकी

अंकन 500/-रूपये का ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र संख्या IN-UP85734166899438W संलग्न हैं।

रजिस्ट्री बही नं0 4 पर विलेख क्रमांक 257 पर दफ्तर सब रजिस्ट्रार मोदीनगर, जिला गाजियाबाद हुई, के पूरक विलेख की आवश्यकता हुई और उक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति व सफल संचालन हेतु व्यवस्थापको ने यह संशोधन पत्र निष्पादित कर रजिस्ट्री कराने का निर्णय लिया। तथा शेष नियम व शर्ते नियम एवं उपनियम पूर्व में निष्पादित ट्रस्ट न्यास पत्र दिनांक 01-05-2008ई0 जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 4 पर विलेख क्रमांक 66 पर दफ्तर सब रजिस्ट्रार मोदीनगर, जिला गाजियाबाद हुई व संशोधन पत्र दिनांक 10-10-2008ई0 को निष्पादित हुआ जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 4 पर विलेख क्रमांक 166 व द्वितीय संशोधन पत्र दिनांक 28-11-2011ई0 विलेख क्रमांक 11 व संशोधन पत्र दिनांक 14-06-2018ई0 विलेख क्रमांक 125 व संशोधन पत्र दिनांक 15-07-2018ई0 विलेख क्रमांक 158 व संशोधन पत्र दिनांक 11-12-2018ई0 विलेख क्रमांक 257 के अनुसार रहेंगी तथा यह पूरक विलेख उनका अंश रहेगा तथा उनके साथ पढ़ा व सुना जावेगा।

9. यहकि एतद्द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा परन्तु यदि किसी कारणवश ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ हो तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियो/परिस्थितयो को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात् ट्रस्ट का विघटन कर सकते है तथा इसके पश्चात् जो भी लाभ हानि होगी वह ट्रस्टीगण द्वारा वहन किया जायेगा। अतः यह पूरक विलेख पूर्व

के कार्यालय

अंकन 500/-रूपये का ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र संख्या IN-UP85734166899438W संलग्न हैं।

में निष्पादित ट्रस्ट न्यास पत्र दिनांक 01-05-2008ई0 जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 4 पर विलेख क्रमांक 66 पर दफ्तर सब रजिस्ट्रार मोदीनगर, जिला गाजियाबाद हुई व संशोधन पत्र दिनांक 10-10-2008ई0 को निष्पादित हुआ जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 4 पर विलेख क्रमांक 166 व द्वितीय संशोधन पत्र दिनांक 28-11-2011ई0 विलेख क्रमांक 11 व संशोधन पत्र दिनांक 14-06-2018ई0 विलेख क्रमांक 125 व संशोधन पत्र दिनांक 15-07-2018ई0 विलेख क्रमांक 158 व संशोधन पत्र दिनांक 11-12-2018ई0 विलेख क्रमांक 257 का लिख दिया कि प्रमाणित एंव उपयोगी हो।।इति।।

गवाह

Puneet Kumar Jain
S/o Sh. M.L. Jain
SB-95 Shastrinagar
GZB (UP)

गवाह

जानेआलम पुत्र ताहिरआलम

तहरीर तारीखः-17-09-2024ई0मसविदा पवन कुमार गर्ग, दस्तावेज लेखक,मेरठ।

PAWAN KUMAR GARG
DOCUMENT WRITER
MEERUT

आवेदन सं०: 202400738028539

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 268 के पृष्ठ 11 से 32 तक क्रमांक 161 पर दिनाँक 28/10/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

भरत कुमार जुमनानी
उप निबंधक : मोदीनगर
गाजियाबाद
28/10/2024